शोध पत्रिका
SHODH PATRIKA

वर्ष 72, अंक 1–4, पूर्णांक 286–289,   ISSN 0975-6868

साहित्य संस्थान
इंस्टिट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज

जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी), उदयपुर 313001 (राजस्थान)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा श्रेणीकरण में “A” दर्जा प्राप्त (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी)

शोध पत्रिका SHODH PATRIKA वर्ष 72, अंक 1–4 2021

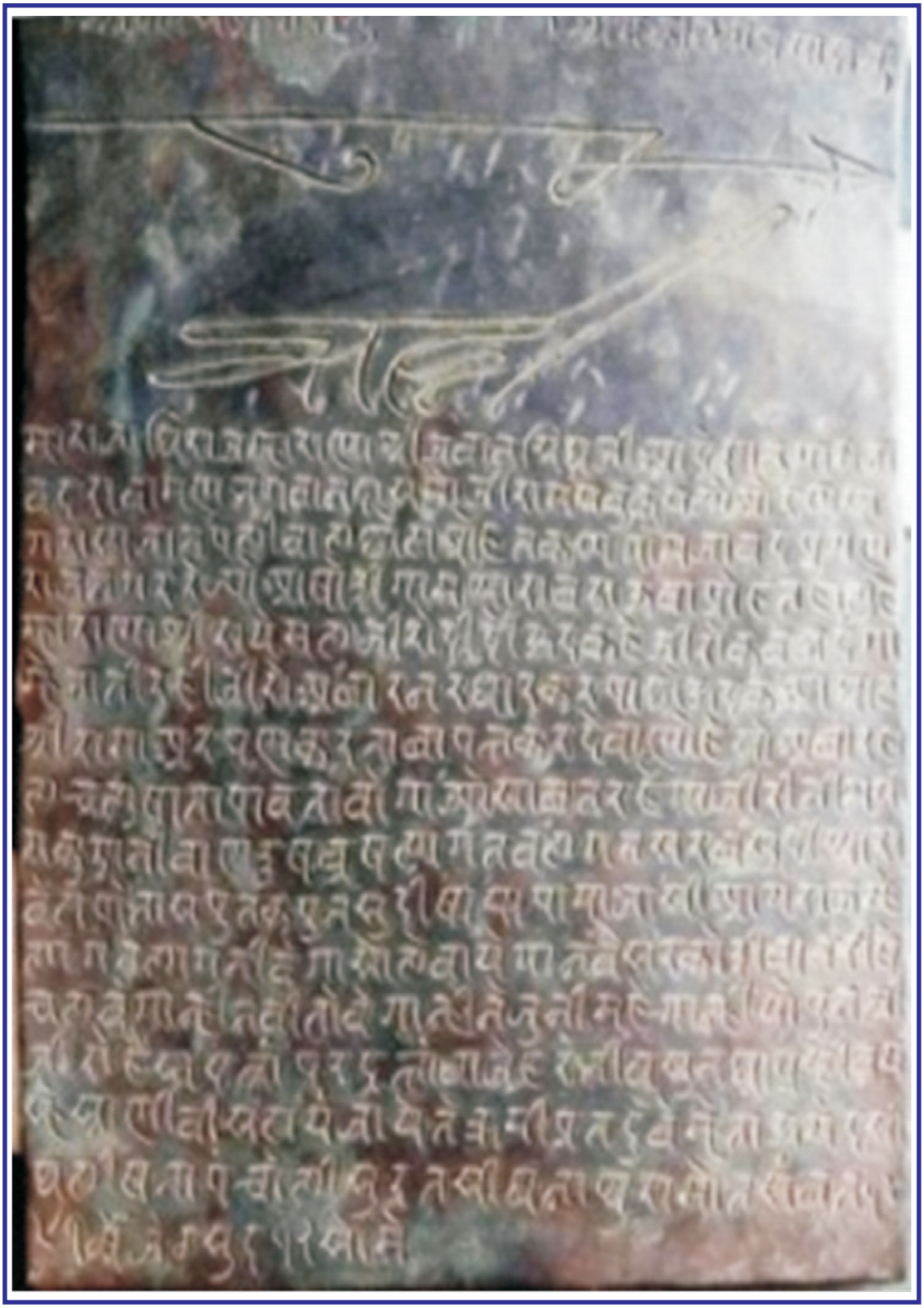

महाराणा रायमल द्वारा ग्राम जावद में प्रदत्त ताम्रपत्र

शोध पत्रिका
SHODH PATRIKA

वर्ष–72, अंक 1–4 (पूर्णांक 286–289)
जनवरी–दिसम्बर, 2021

A peer-reviewed Research Journal
ISSN 0975 - 6868
www.sahityasansthan.org

जीवनसिंह खरकवाल
सम्पादक

कुलशेखर व्यास
सह-सम्पादक

साहित्य संस्थान
(इंस्टिट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज)
जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी)
उदयपुर – 313001 (राजस्थान)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा श्रेणीकरण में 'A' दर्जा प्राप्त डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी)

इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, भाषा, दर्शन,
कला व संस्कृति की त्रैमासिक अनुसंधानिका

• **संरक्षक**

प्रो. बलवन्त शान्तिलाल जानी
कुलाधिपति
जनार्दनराय नागर
राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी), उदयपुर

कर्नल प्रो. एस. एस. सारंगदेवोत
कुलपति
जनार्दनराय नागर
राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी), उदयपुर

• **प्रकाशक**

© **साहित्य संस्थान**

(इंस्टिट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज)
जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी–युनिवर्सिटी)
उदयपुर – 313001 (राजस्थान)

मूल्य : देश में – 400 (चार सौ रुपया मात्र)
विदेश में – 1200 (बारह सौ रुपया मात्र)
मुद्रक: न्यू ट्रेक ऑफसेट
13, भोपा मगरी, हिरण मगरी से. 3, उदयपुर

मुख पृष्ट चित्र : शहरकोट के दक्षिण–पूर्व में स्थित इन्द्रगढ़ (टेकरी, पुलिस लाईन), उदयपुर

विषयानुक्रम

क्र. सं.	आलेख	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	**सम्पादकीय**		
2.	**इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति**		
	1. मेवाड़ मुगल संधि (सन् 1615 ई) का सूत्रधार : प्रधानमंत्री शाह रंगोजी बोलिया	जी. एल. मेनारिया	1–13
	2. मेवाड महाराणा फतेहसिंह कालीन आखेट : एक अध्ययन	प्रियदर्शी ओझा	14–21
	3. The forgotten Sea Goddess of Lothal, Gujrat	Mukesh Sharma	22-29
	4. वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी पण्ड्या धनश्याम शर्मा	कैलाश जोशी	30–36
	5. सिरोही राज्य में डुँगरावत देवड़ा के ठिकाने	विक्रम सिंह देवडा	37–42
	6. कारगिल शहीद हवासिंह रोजड़िया	सज्जन सिंह	43–47
	7. ब्रिटिश कालीन समाचार पत्रों के विज्ञापनों में प्रतिबिम्बित सामाजिक वर्ग	सर्वदमन मिश्र एवं विजयश्री शर्मा	48–59
3.	**भाषा, साहित्य एवं दर्शन**		
	1. The Ritual of Applying Vertical Mark in Vaishnava Upanishads With Translation and Commentary of Relevant Passages	Madhavi Godbole & Shilpa Sumant	60-68
	2. आत्मवत् सर्वभूतेषू : एक सार्थक दृष्टि	ओम प्रकाश पारिक	69–76
	3. शैव सुधाकर में भस्म निरूपण	योगश पालीवाल	77–81
	4. मीरां के पद और राजस्थानी वेश–भूषा	पुष्पा कलाल	82–88
4.	**नवीन खोज**		
	1. शहरकोट (उदयपुर) का पुरातात्विक सर्वेक्षण	जीवन सिंह खरकवाल, कुलशेखर व्यास, कृष्णपाल सिंह देवड़ा, नारायण पालीवाल, शोयब कुरेशी एवं मोनिश पालीवाल	89–134
	2. पश्चिमी बनास घाटी में पिण्डवाड़ा, सिरोही, राजस्थान में पाषाणकालीन स्थलों की खोज	चिन्तन ठाकर, प्रियांक तलेसरा, पुनाराम पटेल	135–154
	3. महाराणा रायमल द्वारा प्रदत्त कतिपय ताम्रपत्र	जी. एल. मेनारिया	155–160
	4. Discovery of Archaeological Sites in Chakshu Tehsil, Jaipur, Rajasthan	Tamegh Panwar, Abhick Sarkar, Payel Sen, J. S. Kharakwal & Praveen Singh	161-171
	5. राजसमन्द जिले के प्राचीन तालाबों व बाँधों का सर्वेक्षण	हिंगलदान चारण	172–178
5.	**पुनर्नवा**		
	1. उदयपुर का एक और सचित्र विज्ञप्ति लेख	भँवरलाल नाहटा	179–184
	2. प्राचीन मध्यमिका की नारायण–वाटिका	डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल	185–191
6.	**पुस्तक समीक्षा**		
	1. मुतखिब–उत–तवारीख (तारीखे बदांयुनी) भाग 1–2	के. एस. गुप्ता	192–193
	2. टाँक (क्षत्रिय कुमावत) मेवाड का इतिहास	प्रियदर्शी ओझा	194–197
	3. हिन्दु सभ्यता में नारियों की स्थिति	महेश आमेटा	198–199
	4. प्राचीन कुरूक्षेत्र के पुरातात्विक स्थल और स्थापत्य	शोयब कुरेशी	200–202
	5. देश भक्त दुर्गादास राठौड	नारायण पालीवाल	203–205
7.	**गति प्रगति**	महेश आमेटा एवं कुलशेखर व्यास	206–217

शोध पत्रिका वर्ष 72 (1–4) 2021, जी.एल. मेनारिया (01–13) © साहित्य संस्थान ISSN 0975-6868
जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी युनिवर्सिटी), उदयपुर

मेवाड़–मुगल संधि (सन् 1615 ई.) का सूत्रधार : प्रधानमंत्री शाह रंगोजी बोलिया

जी. एल. मेनारिया

सारांश

यह शोधपत्र येवन्ती कुमार बोलिया, उदयपुर के निजी संग्रह में उपलब्ध बोलिया वंश की पाण्डुलिपि पर आधारित है। पाण्डुलिपि में उपलब्ध साक्ष्य से रंगोजी बोलिया के मेवाड़ के प्रधानमंत्री होने तथा मेवाड़–मुगल संधि के प्रमुख सूत्रधार होने का प्रमाण मिलता है।

संकेत शब्द : मेवाड़, मुगल, सन्धि।

प्रस्तावना

भारत में मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने प्रारम्भ से ही युद्ध एवं सैन्य शक्ति और कूटनीति के बल से मेवाड़ को अपने अधीन करने का सतत प्रयत्न किया, परन्तु वे असफल ही रहे। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह महान् गौरव की बात थी, परन्तु लगभग चार युग के निरन्तर संघर्ष के उपरान्त विषम परिस्थितियों में महाराणा अमरसिंह प्रथम एवं बादशाह जहाँगीर के बीच सन् 1615 ईस्वी में सम्मानजनक संधि का श्रेय शाह रंगोजी बोलिया को है। बोलिया परिवार के इतिहास पुरुष प्रारम्भ से ही सैन्य एवं प्रशासनिक पदों पर रहे, जिसकी स्वामिभक्ति को देखते हुए रंगोजी बोलिया एवं उनके उत्तराधिकारियों को मेवाड़ में प्रशासनिक सेवाओं के एवज में भूमि, जागीर, सम्मान दिया जाता था। इसकी बोलिया वंश के हाल ही में प्राप्त पाण्डुलिपि से पुष्टि होती है।

बोलिया वंश की पाण्डुलिपियाँ

उपलब्ध पाण्डुलिपियों में रंगोजी बोलिया के गीत वाला एक ग्रन्थ 27X22 सेमी. के आकार का है। इसमें 1803–1806 विक्रम सम्वत् तक कँवर मोतीराम बोलिया के पढ़ने के लिए, प्रतिलिपित किए गए अन्य ग्रन्थ यथा 1. सुन्दर सिंगार, 2. रसिक प्रिया, 3. मधुमालती, 4. नक्षत्र चूड़ामणि शकुनावली, 5. वृन्द सतसई, 6. हरिसर, 7. बिहारी सतसई आदि रचनाओं के साथ स्फुटगीत, कवितादि का संग्रह हैं। उक्त गीत प्रथम पत्र के पृष्ठ भाग पर प्रतिलिपित है। दूसरे ग्रन्थ में रंगोजी के बेटे चोखाजी द्वारा भोजग, चारण और एक नटणी, जिसने गोकनजी की देह (गोकर्णेश्वह्रद–राजमहल के पास सीसारमा नदी पर) पर बाँध बांधकर नृत्य किया था, को तीन लाख पसाब दान देने की सूचना मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है यह गीत इसी चारण ने रचा होगा। इसमें इस चारण के एक वंशज का नाम भैरुदान दिया गया है, जो इस वर्णन के लेखन के समय (महाराजा सज्जनसिंह के राज्यकाल में) जीवित रहा होगा।

प्राप्ति : 25.10.21, समीक्षा : 02.12.21, स्वीकृति : 05.12.21, Email: menariagovindlal@gmail.com
निदेशक, तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान, उदयपुर (राज.) मो. 9460800559

दूसरा ग्रन्थ 24 X 17 सेमी. आकार का है। इसमें संगृहित सामग्री निम्न प्रकार है 1. 36 राजकुवरीयों में से प्रमुख 23 शाखाओं (मोती के) नाम, 2. बापा रावल से निकली सिसोदियों की 24 शाखाओं के नाम, 3. महाराणा कुम्भा और उसके बाद निकली सिसोदियों की शाखाओं के नाम, 4. मेवाड़ के ओसवाल प्रधानों की याददाश्त (यह याददाश्त 40.5 सेमी. 15.5 सेमी. के कागज पर लिखकर ग्रन्थ में चिपका दी गई है), 5. पद्मिनी की घटना से सम्बन्धित सूचना (यह भी एक लम्बे कागज पर लिखकर ग्रन्थ में चिपका दी गई है–इसका आधा अंश अप्राप्त है), 6. राणाओं की पीढ़यावली सम्वत् 1941 तक, 7. ढोलमरवणी+मालवणी चौपाई (लिपि काल 1804 विक्रम सम्वत्.), 8. स्फुट स्त्रवन कुण्डलिया आदि, 9. बोलिया वंश की उत्पत्ति और इतिहास, 10. अकबर नामा। राणाओं की पीढयावली और बोलिया वंश की उत्पत्ति आदि से सम्बन्धित अंश सर्वप्रथम 1804 विक्रम सम्वत् से 1823 विक्रम सम्वत् के मध्य लिखा गया प्रतीत होता है। डॉ. ब्रजमोहन जावलिया (1982) ने बोलिया घराने का नरदेव से सुलतान तक वंश वृक्ष उद्घृत किया है।

मेवाड़-मुगल संधि

दिनांक 5 फरवरी, 1615 की मुगल मेवाड़ सन्धि (बोलिया 2017 : 116–128) का विस्तृत विवरण केवल तुजुके जहाँगीरी (बेवरिज 1968 : 11 व ओझा 1997 : 273–287) या जहाँगीर नामा में मिलता है। मुंहता नैणसी की ख्यात जैसे ग्रन्थों में संकेत मात्र उपलब्ध है। टॉड कृत राजस्थान का इतिहास एवं श्यामलदास कृत वीर विनोद अथवा परवर्ती ऐतिहासिक पुस्तकों के लिए ये ही आधार रहे हैं। स्थानीय स्रोतों का उपयोग अद्यावधि नहीं के बराबर ही हुआ है। हाल ही में मुझे मेवाड़ इतिहास में योगदान देने वाले संकटमोचक बोलिया घराने के अप्रकाशित पांडुलिपि प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि महाराणा अमरसिंह प्रथम और जहाँगीर के मध्य हुए इस समझौते का सूत्रधार शाह रंगोजी बोलिया थे। रंगोजी बोलिया के योगदान की जानकारी बोलिया परिवार से उपलब्ध पांडुलिपियों से होती है। संधि की परिस्थितियों व शर्तो का विवरण दिया गया है।

संधि के सूत्रधार शाह रंगोजी बोलिया

वस्तुतः महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जहाँ एक ओर मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह और उसके सरदार, सेना और जनता दीर्घकालीन मुगलों से संघर्ष कर रही थी तो दूसरी ओर अकबर की मृत्यु के उपरान्त जहाँगीर और उसकी सेना भी मेवाड़–मुगल संघर्ष से मुक्ति पाना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों के दौरान निहाचन्द बोलिया के प्रपौत्र रंगोजी बोलिया जो मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह (प्रथम) की सेवा में आये। उल्लेखनीय है कि मुगल सम्राट जहाँगीर और राणा अमरसिंह के मध्य 5 फरवरी सन् 1615 ईस्वी में सम्पन्न हुई (सितामउ 1986 : 483)। इस सम्मानजनक संधि के प्रमुख सूत्रधार श्री रंगोजी बोल्या ही थे। रंगोजी की इस सेवा के बदले में महाराणा अमरसिंह ने उन्हें मेवाड़ राज्य के प्रधान का पद सौंपा। साथ ही हाथी, पालकी और अक्षत व मोतियों से सम्मानित किया गया। उन्हें 4 गाँवों की जागीरी के पट्टे दिये गये। 1. भानपुरा, 2. काणोली, 3. मेवदा और 4. जामुणा जिनके पट्टे इस वंश वाले के पास वर्तमान में मौजूद है। रंगोजी ने उदयपुर में मोती चौहट्टा में घुमटी वाली छतरी अपनी हवेली के ऊपर बनाई। इस प्रकार की घुमटी वाली छतरी किसी हवेली पर बनाने का अधिकार महाराणा की ओर से किसी विशेष व्यक्ति को ही दिया जाता था। रंगोजी को यह सम्मान मिला। यह हवेली कालान्तर में करजाली ठिकाने के महाराज

सूरतसिंह को दे दी गई। हवेली में अब भी स्मृति सूचक एक शिलालेख स्थित कहा जाता है। रंगोजी पर्याप्त ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे तथा साथ में धर्म प्रेमी व दानवीर भी थे। अपने जीवन में उन्होंने एक–एक लाख प्रसाव के तीन दान किये। सम्वत् 1719 में इन्होंने ''पुर'' में भगवान का भव्य मन्दिर बनाया, मूर्ति की प्रतिष्ठा सम्वत् 1799 में की गई और तीन दान भी किये। रंगोजी के भाई पंचाण थे, जिनके वंशज पंचावत कहलाते हैं। आपके 5 पुत्र हुए 1. चोरवा, 2. रेखा, 3. राजू, 4. श्याम और 5. पृथ्वीराज।

कहा जाता है कि इस संधि से पूर्व भी हताश महाराणा अमरसिंह प्रथम ने अपनी निरीह प्रजा को मुगलों द्वारा अत्यधिक त्रस्त किया जाता देखकर उनके आगे झुकने का निश्चय किया था, परन्तु मेवाड़ के क्षात्रधर्म और स्वतन्त्र, प्रेम को सम्मान की दृष्टि से देखने वाले खानखाना की सम्मति पर उन्हें अपना विचार त्यागना पड़ा। इस अनुश्रुति में सत्य का अंश कितना है, यह अनुमान लगाना कठिन है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाराणा को अपने आश्रय स्थल के रूप में अवशिष्ट अंतिम स्थल चावण्ड भी शत्रु के हाथों में जाने के भय एवं मेवाड़ के धन–जन की बर्बादी को देखते हुए मुगलों के साथ सम्मानजनक समझौता कर अपने कुल की लाज और प्रजा के जीवन की रक्षा करने का निर्णय लिया। खानखाना को लिखे गये पत्र को हम इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गये प्रयास कह सकते हैं।

मेवाड़–मुगल समझौते के लिए पहले केवल मेवाड़ की ही ओर से की जाती रही हो, ऐसी बात नहीं है। उधर मुगल सल्तनत भी मेवाड़ में अपनी सेनाएँ बनाये रखने में असमर्थ हो चुकी थी। मुगलों के चुनिन्दा सैन्य अधिकारियों को मेवाड़ में मरते देखकर तथा मुगल साम्राज्य के खजाने का अधिकांश भाग मेवाड़ में अपने उद्देश्य की पूर्ति में रिक्त हुआ देखकर जहाँगीर भी किसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा से सम्मान पूर्ण समझौता कर सकने की परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहा था।

बादशाह जहाँगीर ने शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ में जो सेना भेजी उसमें मुगल सैन्य दल के साथ कांगड़ा के तत्कालीन राजा बासु भी था, जो पंजाब में कांगड़ा जिले के नूरपुर के तंवर वंशज राजपूत था। नूरपुर का राजा बासु अपने पुरोहित सुखानन्द व्यास के साथ 12 जुलाई, 1612 में उदयपुर आया। महाराणा अमरसिंह के साथ भेंट के समय बासु ने मीरां की एक मूर्ति मांगी। उसके अनुरोध पर महाराणा ने उसे एक मीरां की मूर्ति दी साथ ही पुरोहित सुखानन्द व्यास को एक गाँव रेमल्या के पास वाला झील्या ग्राम भेंट किया। झील्यो रेवली री पाखती उदक आघात कर प्रदान किया (विक्रम सम्वत् 1669 वर्ष श्रावण कृष्ण 9 रविवार को प्रदत्त ताम्रपत्र)। महाराणा के आदेश से यह ताम्रपत्र तत्कालीन शाह डूँगरसिंह के निर्देश से पंचोली शंकरदास द्वारा लिखा गया है (सीतामऊ 1986 : 450–452)।

मेवाड़ की इस चिन्तनीय अवस्था को देखते हुए तत्कालीन मेवाड़ के सामन्तों में सर्व प्रमुख गोगुन्दा के झाला हरदास और पँवार शुभकर्ण का नाम आता है, जिन्होंने महाराणा अमरसिंह के पुत्र कुंवर कर्णसिंह को अपनी ओर मिला उसके माध्यम से महाराणा को तथा मुगल पक्षीय राय सुन्दरदास के माध्यम से शाहजादा खुर्रम को सन्धि को तैयार किया। खुर्रम ने इसी सुन्दरदास तथा एक अन्य व्यक्ति शुक्रल्लाह के द्वारा बादशाह जहाँगीर को ये शुभ समाचार पहुँचाए और बादशाह ने तत्काल सन्धि की स्वीकृति भी दे दी (ओझा 1997 : 805–812)। बादशाह की स्वीकृति में भी स्पष्ट करती है कि वह भी समझौते के लिए तैयार था। ऐसी परिस्थिति में जहाँगीरनामा या तुजुके जहाँगीरी में जहाँगीर द्वारा इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना

मानना तथा अपने आपको सौभाग्यशाली घोषित करना उचित ही है क्योंकि उसी के शासन में ऐसी घटना घटी थी, लिए उसके पूर्वजों और उनसे भी पूर्व के दिल्ली शासकों ने अपना खून–पसीना एक कर दिया था, परन्तु मुगल व मेवाड़ दोनों ही पक्षों का धन–जन व्यर्थ ही में नष्ट हुआ व इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। अतः मुगल सम्राट जहाँगीर मेवाड़–मुगल सन्धि को उसके शासन कार्य की एक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में लिखता है।

''मेवाड़ की प्रजा और महाराणाओं ने तीन युगों तक दिल्ली के बादशाहों से युद्ध कर अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताया। दिल्ली की सेनायें भी सतत आक्रमणों के उपरान्त असफलताओं से निराश और परेशान थी। महाराणा अमरसिंह प्रथम के सिंहासनारूढ़ होते ही मेवाड़ का अधिकतम भूभाग मुगलों के अधीन हो चुका था। महाराणा की राजसेवा में नियुक्त रंगोजी बोलिया मुगलों द्वारा कैद कर दिल्ली भेज दिये गये, जहां वे नवाब खानखाना की हिरासत में रखे गये। वही उन्होंने असाध्य ज्वर से ग्रस्त लखनऊ के नवाब (नाम नहीं दिया गया है) की किसी महात्मा से प्राप्त हरड़े से चिकित्सा की। कृतज्ञता ज्ञापन स्वरूप रंगोजी कारागार से निकाले जाकर नवाब के पारिवारिक अतिथि के रूप में रखे गये। नवाव के ही माध्यम से बादशाह जहांगीर से रंगोजी की भेंट हुई।'' (दूसरे ग्रंथ के अनुसार रंगोजी मेवाड़ की ओर से ही दिल्ली भेजे गये थे)।

रंगोजी ने बादशाह को सलाह दी कि इधर उनका राजकोष रिक्त हुआ जा रहा है और उधर महाराणा भी कष्ट पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं ऐसा कोई उपाय किया जाए कि राजकोष का अपव्यय रूके और महाराणा के कष्टों का भी अंत हो जाए। अन्ततः जहाँगीर ने निम्न चार शर्तो के साथ रंगोजी को महाराणा के पास भेजा–

1. पाटवी कुमार बादशाह की सैन्य सेवार्थ जावें। वह उसके मनसबदारों में सम्मिलित होवें। उसके साथ 500 सवार रहेंगे।
2. राज्य की ओर से मेवाड़ में एक मस्जिद बनवानी होगी।
3. हमारा एक काजी वहाँ रहेगा।
4. महाराणा को बादशाही फरमान झेलना होगा।

रंगोजी ने इन शर्तो को अपने स्वामी के सम्मान पर किसी भी प्रकार का आघात पहुँचाने वाला नहीं पाया। अतः दिल्ली से मेवाड़ महाराणा के सामने उसने बादशाह की उपर्युक्त शर्ते रखी। सभी सामन्तों ने अपनी विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा इन शर्ते को स्वधर्म एवं राज्य पर किसी प्रकार से संकट लाने वाला न पाकर, उन्हें स्वीकार कर लिया और कुमार कर्णसिंह को बादशाही दरबार में दिल्ली भेजा। संधि की शर्ते निश्चित हो जाने पर मेवाड़ से शाही फौजें बाहर हटा दी गई।

मेवाड़–मुगल सन्धि (ओझा 1997 : 807–810, बेवरिज 1968 : 341–343 व सितामउ 1986 : 463–483) के बारे में मेवाड़ के इतिहास वीर विनोद, भाग–1 एवं पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के द्वारा लिखित उदयपुर राज्य का इतिहास भाग–2 में तथा जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा तुज्क–ए–जहाँगीरी में मेवाड़ के साथ सम्मानजनक सन्धि का उल्लेख किया है, परन्तु बोलिया परिवार के अभिलेखों में सन्धि की

जिन शर्तो का उल्लेख हुआ है उनमें सन्धि का उद्देश्य व भावना में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु शर्तो में अन्तर है। सम्भव है कि सन्धि के प्रारम्भ में दोनों पक्षों ने अपनी शर्तें विश्वस्त अधिकृत अधिकारियों के साथ लिख भेजी होगी और अंत में जहाँगीर द्वारा जारी फरमान में रंगोजी बोलिया और मेवाड़ के अन्य अधिकारियों की सलाह से संधि को अंतिम रूप होगा।

इस प्रकार दोनों पक्षों (मेवाड़–मुगल सन्धि के प्रस्ताव) के बारे में जहाँगीर अपनी आत्मकथा तुज्क–ए–जहाँगीरी में लिखता है–''मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा अमरसिंह और उसके बाप दादाओं ने अपने विकट पहाड़ों और सुदृढ़ स्थानों के गर्व से न तो हिन्दुस्तान के किसी बादशाह को देखा है और न उसकी सेवा की है। मेरे राज्य में उसकी यह बात न रहे इसी उद्देश्य से मैने शाहजादा खुर्रम की प्रार्थना से राणा से शान्ति सन्धि के लिए अपनी हथेली की छाप लगाकर सन्धि करने का फरमान भेजा, साथ ही खुर्रम को इस आशय की सूचना दी कि यदि तुम राणा के साथ समझौता (सन्धि) कर मामला तय कर सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी'' (ओझा 1997 : 807–809, सीतामऊ 1986 : 236)।

जहाँगीर द्वारा प्रेषित फरमान (सन्धि का दस्तावेज) उदयपुर आया तो कुंवर कर्णसिंह उसे लेकर सभी सरदारों के साथ महाराणा के पास पहुँचा और मेवाड़–मुगल सन्धि सम्बन्धित वृत्तान्त अर्ज़ किया। महाराणा ने निराश होकर कहा कि पिता प्रतापसिंह का ताना सहन करने की मेरी इच्छा नहीं थी, परन्तु समय–काल ने व परिस्थितियों ने मुझे आप सभी सरदारों की सलाह मानने को विवश कर दिया है। मै अकेला क्या कर सकता हुँ। इस प्रकार खेद प्रकट करते हुए, फरमान ग्रहण करना स्वीकार किया। खुर्रम ने मुल्ला शुक्रुल्ला खाँ व सुन्दरदास के मार्फत महाराणा के पास भेजा (5 फरवरी 1615 ई.)।

मेवाड़ के ऐतिहासिक ग्रन्थों में उल्लेखित मेवाड़-मुगल सन्धि की दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत शर्तें

1. महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा।
2. महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र शाही दरबार में उपस्थित होगा।
3. शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा।
4. चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी।

सन्धि की शर्तो में दोनों पक्षों का परस्पर स्वेच्छा से सम्मान एवं गौरव बना रहा। इस सन्दर्भ में ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग दो एवं श्यामलदास लिखित वीर विनोद में कहीं भी मेवाड़–मुगल सन्धि के सूत्रधार व्यक्तियों में शाह रंगोजी बोलिया का नाम नहीं है, परन्तु इन पुस्तकों में शाहजादा खुर्रम की सेवा में सुन्दरदास ब्राह्मण व गोगुन्दा के झाला सरदार हरिदास झाला व पंवार शुभकर्ण जो महाराणा अमरसिंह के विश्वस्त पात्र थे का संदर्भ है। इन दोनों के प्रयत्न से सन्धि हुई। तुज्क–ए–जहाँगीरी में लिखा है कि सुन्दरदास की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे बादशाह ने ''रायरायां'' की उपाधि के साथ ही विक्रमादित्य का खिताब दिया और उसका मनसब पाँच हजारी तक बढ़ाया गया। खुर्रम ने सन्धि का समाचार बादशाह जहाँगीर की स्वीकृति बाबत् मौलवी शुक्रुल्ला खाँ और सुन्दरदास के मार्फत भेजा था, जिसकी सभी

सम्मानजनक शर्तो को कुंवर कर्णसिंह के मार्फत, महाराणा के पास भेजने का प्रयास सम्भवतः शाह रंगोजी बोलिया ने ही किया होगा, तभी इसको झाला हरिदास व पंवार शुभकर्ण जैसे सरदारों ने मिलकर शाहजादा खुर्रम व कर्णसिंह को इस बाबत् आगे किया।

इस फरमान के तहत शाहजादे के पास महाराणा एवं उसके पुत्रों का उपस्थित होना निश्चित हुआ। दिनांक 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमरसिंह अपने दो भाई सहमल्ल और कल्याण तथा तीनों कुंवरों भीमसिंह, बाघसिंह व सूरजमल एवं कई सरदार व बड़े दर्जे के अधिकारी सहित गोगुन्दा के थाने के पास शाहजादे से मुलाकात हेतु पहुँचे। वहाँ शाही सैन्य के साथ शाहजादे ने अब्दुल्ला खाँ, राजा सूरसिंह, राजा वीरसिंह बुन्देला, सैयद सैफ खाँ बारहा आदि ने महाराणा व इसके सभी सरदारों का स्वागत सत्कार किया व खुर्रम के पास उसे ले गया। शाहजादा खुर्रम ने महाराणा को छाती से लगाकर अपने पास बिठाया। महाराणा ने शाहजादे को एक उत्तम लाल (यह लाल कभी मारवाड़ के राजा मालदेव के पास था) जो तोल में 8 टंका, कीमत 6,00,000 रूपये का था, कुछ मूल्यवान वस्तुएं, 7 हाथी, 9 घोड़े नज़र किया। शाहजादे ने भी कीमती खिलअत, जड़ाऊ तलवार, हाथी–घोड़े जड़ाऊ जीन वाले, रत्नाभूषण, वस्त्र दिये। साथ ही महाराणा के भाइयों व सरदारों को भी खिलअत, सिरोपाव, 50 घोड़े दिये। फिर मुल्ला शुक्रुल्लाह और सुन्दरदास को साथ देकर महाराणा को वहाँ से विदा किया। सन्धि के तहत जब कुंवर कर्णसिंह शाहजादे की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसे भी खिलअत, जड़ाऊ तलवार, जमधर, सुनहरी जीन का घोड़ा व खास हाथी दिया। उसे फिर खुर्रम अपने साथ लेकर 18 फरवरी 1615 को अजमेर प्रस्थान कर गया। अजमेर में कर्णसिंह को बादशाह ने खिल्लत व सम्मान देकर वहाँ रखा।

बादशाह जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि संधि के तहत मेवाड़ के कुंवर कर्ण सिंह को मैंने उसे प्रसन्न रखने के लिए मेवाड़ का सम्मान प्रदर्शित करने हेतु मुगल दरबार में उपस्थित होने से लेकर रवानगी तक मैंने कुंवर कर्ण सिंह को मूल्यवान जवाहरात, रत्नजड़ित शस्त्र एवं नकद दिया, जिसकी कुल कीमत दो लाख रूपये थी इसके अलावा 110 घोड़े, 5 हाथी व बहुत सी प्रेम व शिक्षाप्रद बातें राणा अमरसिंह को कहलायी।

बोलिया परिवार की पाण्डुलिपियों में उल्लेख हुआ है कि मेवाड़ एवं मुगल राज्य के मध्य सम्पन्न संधि के बारे में बादशाह जहाँगीर का फरमान को लेकर कुंवर कर्णसिंह, संधि का सूत्रधार रंगोजी बोल्या और बादशाह के प्रतिनिधि अजमेर से उदयपुर संधि–नामा लेकर आए परन्तु महाराणा ने इसे धोखा समझा, अतः मार्ग में दोनों और अपनी फौज का पूरा प्रबन्ध कर उदयपुर शहर और देबारी के मध्य स्थित गणेश टेकरी (वर्तमान में जहाँ महाराणा भूपाल कॉलेज का भवन बना है, वही गणेश टेकरी कहलाती थी) जाकर बादशाही फरमान ग्रहण किया। महाराणा ने रंगोजी को इस योगदान से प्रसन्न होकर इस सेवा के उपलक्ष्य में मेवाड़ राज्य में प्रधान का पद देकर सम्मानित किया एवं साथ ही मेवाड़ में चार गाँवों की जागीरी प्रदान की और उनके निवास के लिए नगर में गुम्बज वाली हवेली बना कर दी। इस सन्धि से प्रसन्न होकर स्वयं बादशाह जहांगीर की ओर से रंगोजी को 42 बीघा जमीन पुर गांव (वर्तमान जिला भीलवाड़ा) में दी गई। इस परिवार के आधिपत्य में आज भी उसे व उसके वंशजों को प्रदत्त जागीरी गाँवों के पट्टे उपलब्ध है।

रंगोजी ने प्रधान (मंत्री) पद पर रहकर मेवाड़ के गांवों की सीमा का अंकन करवाया तथा जागीरदारों के गांवों की रेख भी निश्चित की। रंगोजी के द्वारा इस संधि में रहे योग की पुष्टि एक अन्य हस्त लिखित ग्रन्थ में प्राप्त गीत से भी होती है, जो इस प्रकार है (बोलिया 2017 : 116–128)–

पूरब पछम उतर दखण पण। जरकस साह ने जगत जाणे।।
अक ने कक अभ्रे हुतो न को। रंगै म्हे कीयौ पतसाह राणे ।।1 ।।
च्यार चक चर चलै चाक परजा चढ़े। राह वे साह पतसाह रूठा।।
तीहारे मत सुरताण र तजड़हत। दत्नी चत्रकोट सुख चेन दीठो ।।2 ।।
बाप वो बाप अमरेस रो सामध्रमी। साच री वात जुग च्यार साखी।।
ऋाबंब होतो न को त्याग ही जायछो। रंगे मेवाड़ री लाज राखी ।।3 ।।
दीयै दुनियान आसीस वौहो दुंनी। प्रतपे घणा दीहे राव बोह्या।।
पालरा गिरां लग डीगरा पोढ़ती। मोगणी पुरख सुख चेन मेलया ।।4 ।।

अर्थात् : गीत का तात्पर्य यह है कि शाह रंगोजी बोलिया पूरे देश में पूर्व से लगाकर पश्चिमी दिशा तक एक ख्यात नाम व्यक्ति था, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता, बुद्धि एवं चातुर्य तथा साहस और वीरता के कारण मुगल सम्राट जहाँगीर एवं मेवाड़ महाराणा अमरसिंह प्रथम के समय दोनों पक्षों का प्रिय था। उसके ही प्रयत्नों से मेवाड़ और मुगल शासकों के बीच चला आ रहा दीर्घकालीन संघर्ष का अन्त एक सम्मानजनक सन्धि के साथ हुआ, जिसके तहत मेवाड़ को चित्तौड़ का दुर्ग और महाराणा उदयसिंह और प्रताप के समय मुगलों द्वारा आधिपत्य किए गए भू–भाग को पुनः मेवाड़ को सौंप दिए गए। इस प्रकार शाह रंगोजी बोलिया ने मेवाड़ के गौरव और इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस सत्य को सारी दुनिया जानती है। उनके त्याग, साहस और प्रशासनिक दक्षता के कारण उनके पूर्वजों की नीति के अनुरूप मेवाड़ के शासकों ने उनके इस परिवार को न केवल सम्मानित किया, अपितु उनकी पीढ़ियों को उच्च पदों पर आसीन कर उनकी सेवाओं का लाभ लिया।

मेवाड़–मुगल संधि का महत्त्व

इंग्लैण्ड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टामसरो मेवाड़–मुगल सन्धि के समय अजमेर में मौजूद था। उसने अपनी संस्मरण (डायरी) में लिखा कि ''पोरस खानदान का कुंवर मेवाड़ का पुत्र कुंवर कर्णसिंह मुगल दरबार में आया, जिसको बादशाह जहाँगीर ने बहुमूल्य भेंट इत्यादि के साथ सम्मान देकर अपने आधीन बनाया, तलवार के बल से नहीं''।

अकबर ने बदनौर के वीर जयमल एवं आमेट के वीर पत्ता की हाथियों पर बैठी हुई प्रस्तर मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें आगरे के किले के दोनों द्वारों पर स्थापित कर उनका सम्मान किया। वैसे ही जहाँगीर भी अपने पिता अकबर की तरह वीर योद्धा राजपूतों का सम्मान करता था। अतः उसने भी उसी परम्परा पर चलते हुए मेवाड़–मुगल सन्धि के सम्मान के प्रतीक में अजमेर में रहते समय महाराणा अमरसिंह और कुंवर कर्णसिंह की आदमकद की संगमरमर की खड़ी मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें आमेर के किले में दर्शन के झरोखे के नीचे बाग में खड़ी करवाई (बेवरिज 1968 : 132, ओझा 1997 : 813)। जहाँगीर ने आत्मकथा में लिखा कि

मैने इन दोनों मूर्तियों को तैयार होने के बाद स्वयं ने देखकर उन्हें आगरा पहुँचवा दिया। (तारीख 20 अगस्त 1616)।

इस सन्धि के सन्दर्भ में विलियम इरविन (इरविन 1903 : 42–43, फोस्टर 1927 : 90, इरविन 42–43 व ओझा 1997 : 814–819) ने अपनी पुस्तक ''लेटर मुगलस्'' में लिखा कि अति प्राचीन व महत्त्ववाले सिसोदिया वंश का राज्य मेवाड़ पर था, जिसकी राजधानी उदयपुर थी और पुरानी राजधानी चित्तौड़ अकबर ने ले ली थी तो भी जहाँ तक हो सकता था, मेवाड़ के सिसोदिया मुसलमानों के सम्पर्क से दूर रहे, जो 3 मुगल बादशाहों को अपनी बेटी ब्याहने में अपना अपमान समझते थे इसीलिये उन्होंने कभी भी ऐसी अपमानजनक सन्धि नहीं की, जिससे उन्हें ऐसे अपमान का टीका लगाना पड़े। मेवाड़ के राजा, जोधपुर और आम्बेर के बड़े राजाओं की तरह कभी मुगल सैन्य सेवा में स्वार्थ हेतु स्वयं नहीं गये।

उपसंहार

मेवाड़ के इतिहास से सम्बन्धित बोलिया वंशज घराने के इतिहास पुरूषों में रंगोजी बोलिया और मुगल सम्राट जहाँगीर के मध्य सम्पन्न 1615 ई. की ऐतिहासिक सम्मानजनक संधि के सूत्रधार रंगोजी बोलिया को ही दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हमें बोलिया घराने से सम्बन्धित अप्रकाशित मूल्यवान पाण्डुलिपियों की जानकारी हुई है, जिनमें 1. ''गुरासा की पट्टावली'', 2. ''ओसवाल जाति का इतिहास'', 3. ''इतिहास की अमर बेल ओसवाल'' प्रमुख हैं, जिनके बारे में प्रथम बार प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर के डॉ. ब्रजमोहन जावलिया के द्वारा इसकी आंशिक सूचना शोध पत्रिका में भी दी गई थी। उपर्युक्त तीनों ग्रन्थों से प्राप्त विवरण तथा उनकी पुष्टि में यह गीत हमें इस संधि से सम्बन्धित तुजुके जहाँगीर या इकबाल नामा जहाँगीर में प्राप्त वर्णन पर पुनर्विचार का अवसर देता है। रंगोजी बोलिया का कोई उल्लेख अन्य ग्रन्थों में मिलता, इसका कारण समझ में नहीं आता। यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि महाराणा और अब्दुल रहीम खानखाना के आपसी व्यवहार विषयक अनुश्रति सत्य रही होगी और उसमें रंगोजी बोल्या ने मध्यस्त का कार्य किया गया होगा। संधि के लिए उचित वातावरण तैयार करने और संधि कराने में भी रंगोजी बोल्या का अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा हाथ रहा हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। सम्भव है मेवाड़ के प्रतिनिधि सरदार हरदास झाला और शुभकर्ण ने महाराणा को संधि के लिए तैयार करने का कार्य भी रंगोजी बोलिया के संकेत पर ही किया है। प्रस्तुत मूल सामग्री के आधार पर इस संधि की परिस्थितियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

रंगोजी बोलिया का नामोल्लेख हमें इन तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता, परन्तु रंगोजी के ही वंशज इस बोलिया परिवार के कई एक व्यक्तियों का हमें मेवाड़ और मेवाड़ के बाहर भी कोई महत्त्वपूर्ण उच्च पदों पर कार्य करने का उल्लेख मिलता है, जिनमें एकलिंगदास बोलिया का नाम प्रमुख है। प्रस्तुत सामग्री के आधार अन्तिम दो ग्रन्थ भी इसी परिवार की पैतृक सम्पत्ति रही है।

आभार

लेखक येवन्ती कुमार बोल्या, (सेवानिवृत्त, वरिष्ठ इंजीनियर विद्युत विभाग एवं अध्यक्ष, बोलिया विकास संस्थान, उदयपुर) का बोल्या वंश की मूल पाण्डुलिपि, जो अप्रकाशित है, उसकी छायाप्रति उपलब्ध

करवाने के लिए आभारी है। येवन्ती कुमार ऐसी अप्रकाशित पाण्डुलिपियों को अपने निजी संग्रह में संरक्षित रखते आ रहे हैं। एतदर्थ वे प्रशंसा के पात्र हैं।

सन्दर्भ

ओझा, गौरी शंकर हीराचन्द 1997। *उदयपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग*। जोधपुर : राजस्थानी ग्रंथागार।

इरविन, विलियम 1903। *लेटर मुगलस् जिल्द 1*। दिल्ली : ओरियनटल बुक को.।

फोस्टर, विलियम (सम्पा.) 1927। *दी एम्बेसी ऑफ सर टामस रो*। कैम्ब्रिज : कैम्ब्रीज विश्वविधालय प्रकाशन।

बोलिया, येवन्तीकुमार (सम्पा.) 2017। *मेवाड़–मुगल संधि का सूत्रधार रंगोजी बोलिया, रजत जयन्ती स्मारिका*। उदयपुर : बोलिया विकास संस्थान। तृतीय संस्करण।

बोलिया, येवन्तीकुमार (सम्पा.) 2017। *गीत साहा रंगोजी रो पातसाह रे राणाजी रे मेळ करायो जणी आंटा रो, रजत जयन्ती स्मारिका, उदयपुर : बोलिया विकास संस्थान*। तृतीय संस्करण।

बेवरिज (अनुवाद) 1968। *तुज्के जहांगिरी जिल्द 1*। दिल्ली : मूंशीराम मनोहरलाल प्रकाशन।

सीतामऊ, रघुवीरसिंह, मनोहर सिंह राणावत व शिवदान बारहठ (सम्पा.) 1986। *श्यामलदास–वीर विनोद*। जयपुर : मयंक प्रकाशन।

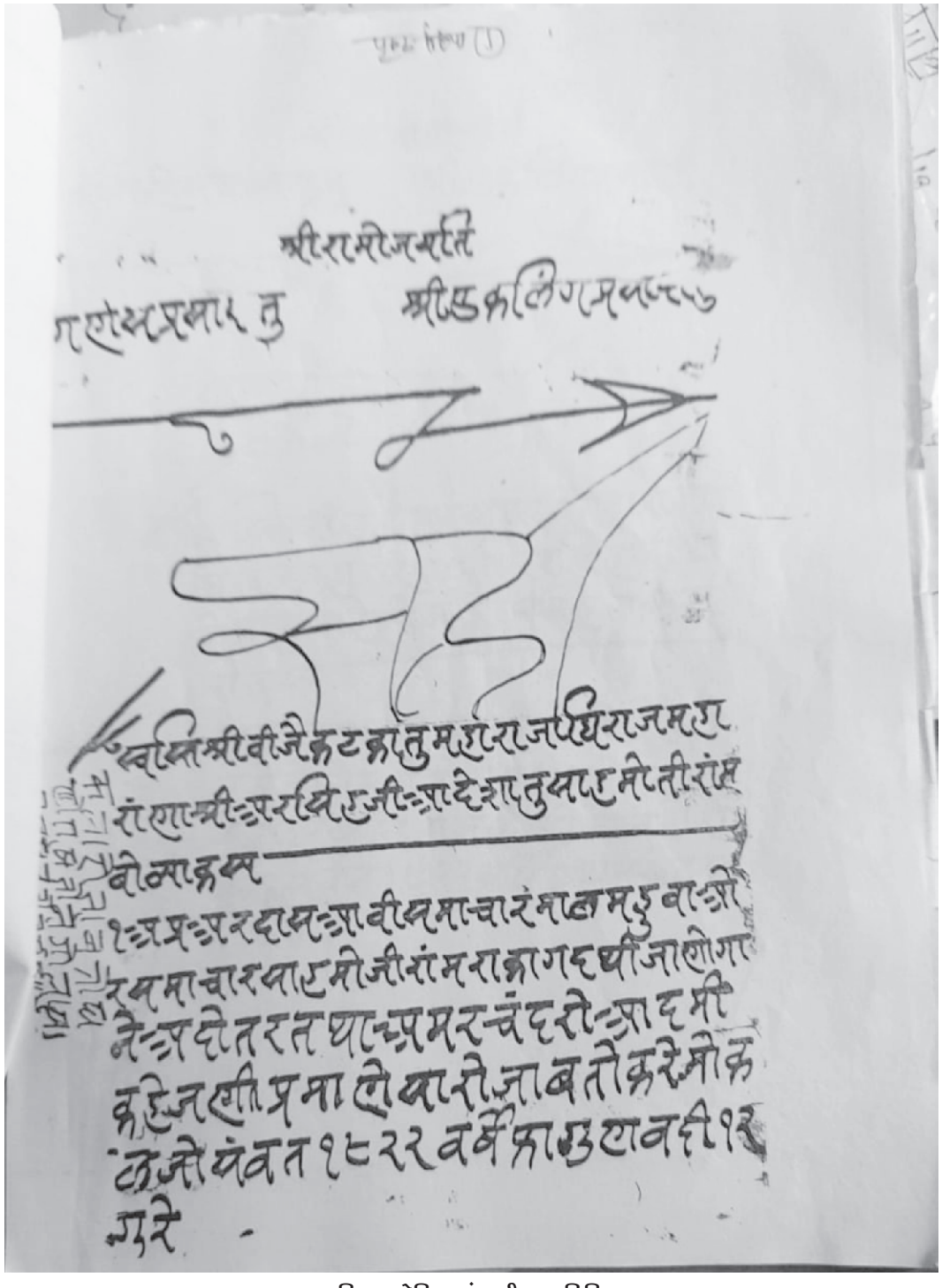

चित्र : बोलिया वंश की पाण्डुलिपि

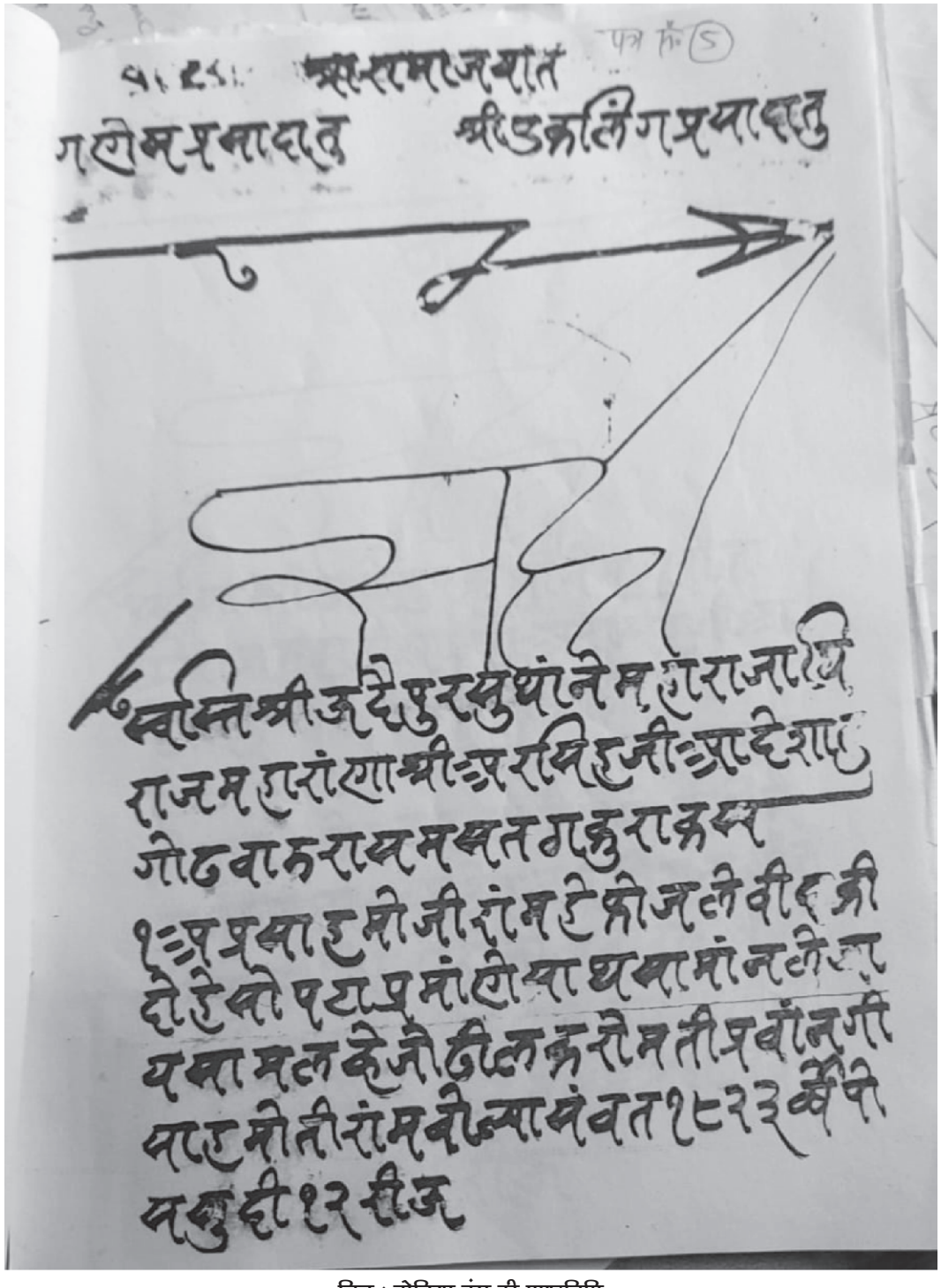

चित्र : बोलिया वंश की पाण्डुलिपि

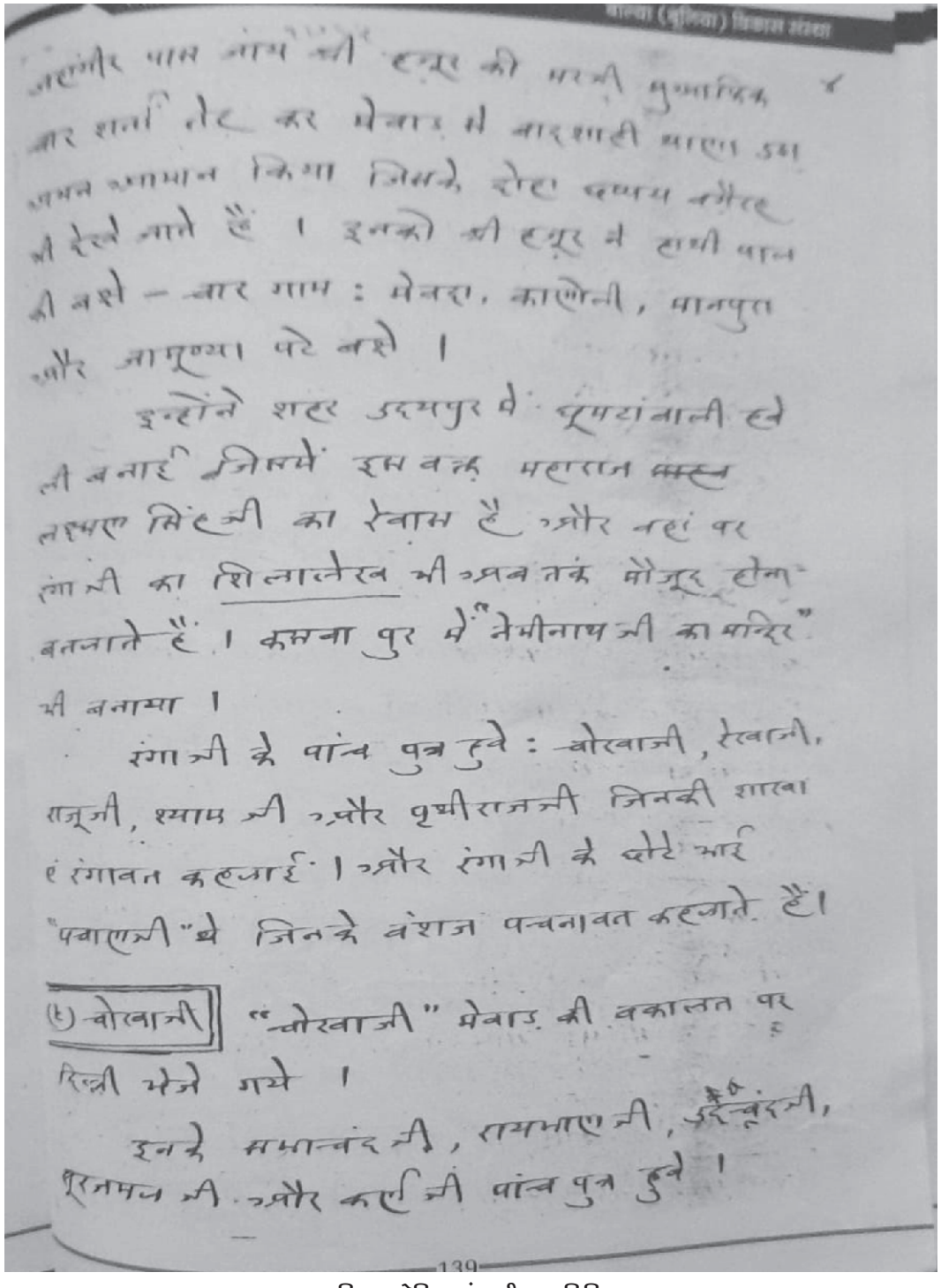

जहांगीर पास जाये जो हजूर की मरजी मुआफिक ४
चार शर्तें तै कर मेवाड़ से बादशाही थाणा उठा
अमन आमान किया जिसके दोहा छप्पय गौरव
भी देखे जाते हैं। इनको श्री हजूर ने हाथी पाल
की बख्शे - चार गाम : मेनदा, कालेनी, पानपुरा
और जामुण्या पटे बख्शे।

इन्होंने शहर उदयपुर में पूगटांवाली हवे
ली बनाई जिनमें इस वक्त महाराज साहब
लक्ष्मण सिंह जी का रेवास है और वहां पर
रंगाजी का शिलालेख भी अब तक मौजूद होना
बतलाते हैं। कसना पुर में "नेमीनाथ जी का मन्दिर"
भी बनाया।

रंगाजी के पांच पुत्र हुवे : चोखाजी, रेखाजी,
राजूजी, श्याम जी और पृथ्वीराजजी जिनकी शाखा
ए रंगावत कहलाई। और रंगाजी के छोटे भाई
"पचाणजी" थे जिनके वंशज पचनावत कहलाते हैं।

(६) चोखाजी "चोखाजी" मेवाड़ की वकालत पर
दिल्ली भेजे गये।

इनके समानचंद जी, रायभाण जी, उदैचंद जी,
पूरनमल जी और करणजी पांच पुत्र हुवे।

139

चित्र : बोलिया वंश की पाण्डुलिपि

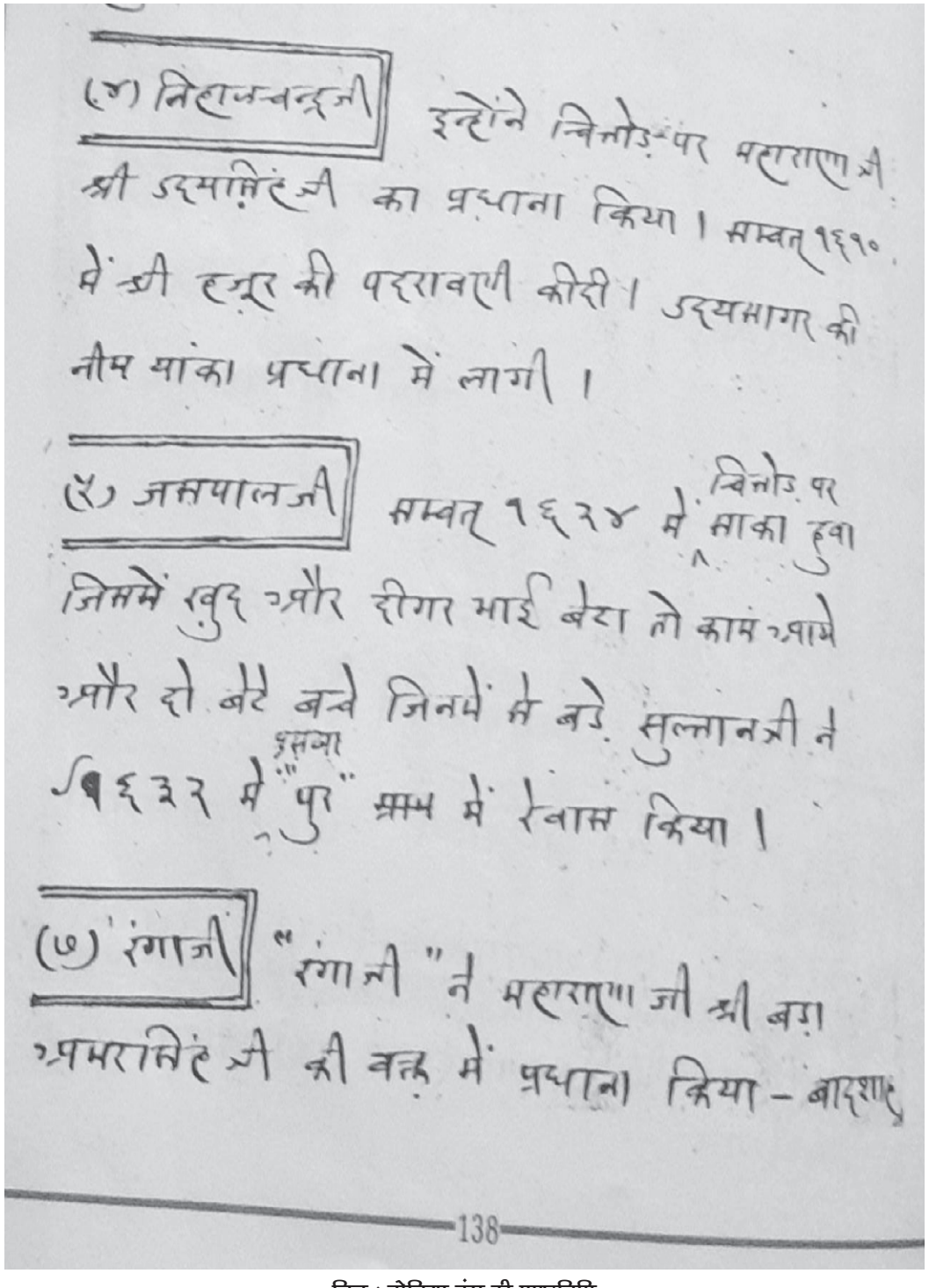

(४) निहालचन्दजी — इन्होंने चित्तोड़ पर महाराणाजी श्री उदयसिंहजी का प्रधाना किया। सम्वत १६१० में श्री हजूर की पदरावणी कीदी। उदयसागर की नीम यांका प्रधाना में लागी।

(५) जसपालजी — सम्वत १६२४ में चित्तोड़ पर साका हुवा जिसमें खुद और दीगर भाई बेटा तो काम आये और दो बेटे बचे जिनमें से बड़े सुल्तानजी ने १६३२ में इसवा "पुर" ग्राम में रेवास किया।

(६) रंगाजी — "रंगाजी" ने महाराणा जी श्री बड़ा अमरसिंह जी की वक्त में प्रधाना किया - बादशाह

138

चित्र : बोलिया वंश की पाण्डुलिपि

भल्लों का गुड़ा गाँव के सम्मुख स्थित प्रवेश द्वार के अवशेष (बाह्य भाग)

भल्लों का गुड़ा गाँव के सम्मुख स्थित प्रवेश द्वार के अवशेष (आंतरिक भाग)

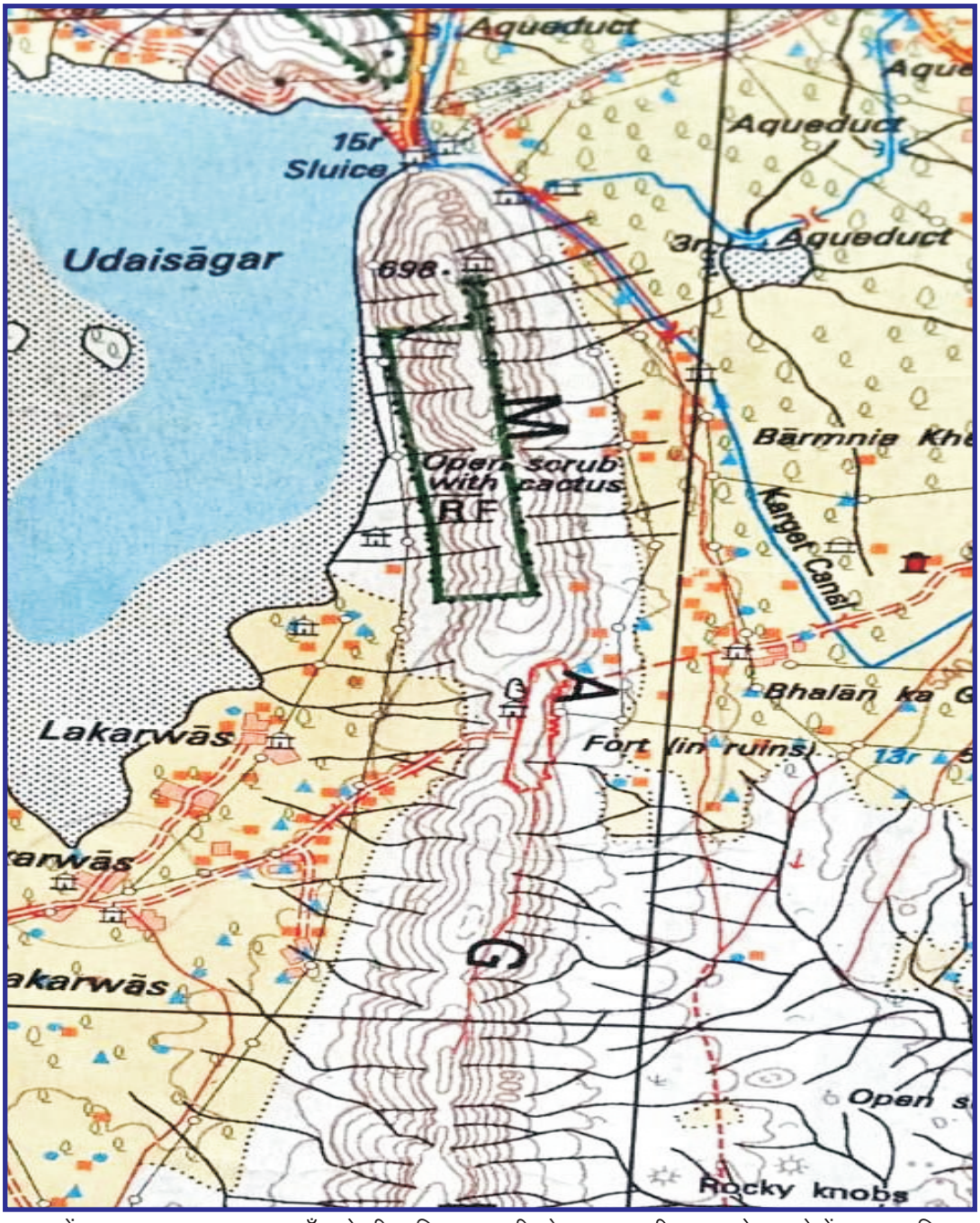

भल्लों का गुड़ा व लकड़वास गाँव के बीच स्थित पहाड़ी के ऊपर प्राचीन गढ़ के अवशेषों का मानचित्र
(सौजन्य से : भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार)

साहित्य संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ
(डीम्ड-टू-बी-युनिवर्सिटी), उदयपुर के लिये डॉ. जीवनसिंह खरकवाल द्वारा प्रकाशित
तथा न्यूट्रेक ऑफसेट, उदयपुर में मुद्रित।